प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक-26 अगस्त, 2016

विषय- प्रदेश के कारागारों/जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग कक्षों के निर्माण हेतु स्वीकृति लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-21081/नम-2, दिनांक- 12.07.2016, के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-91/2015/402/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-29.03.2015, शासनादेश संख्या-208/2015/1465/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-08.12.2015, शासनादेश संख्या-94/2016/48/22-4-16-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-18.01.2016, शासनादेश संख्या-199/2015/1348/22-4-15-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-05.11.2015 एंव संशोधित शासनादेश संख्या-34/2016/392/22-4-16-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-29.03.2016 एवं शासनादेश संख्या-74/2016/56/22-4-16-119(ब)/2000टी0सी0-8(ए), दिनांक-13.06.2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के माध्यम से निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृत मूल लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 98.09 लाख की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1049(1)/119(ब)2000टी0सी0-8(ए)-22-4-2016, दिनांक 10 अगस्त, 2016 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से कर दी गयी है।

2- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल महोदय उक्त पुनर्विनियोग के द्वारा व्यवस्थित धनराशि रू0 98,09,000/-(रूपया अट्ठानवे लाख नौ हजार मात्र) को निम्न तालिका में उल्लिखित कार्यों हेतु आहरित कर उसे व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	जिला कारागार/जनपद न्यायालय का नाम	स्वीकृत लागत	स्वीकृत धनराशि	अन्तर की धनराशि
1	2	3	4	5
1	जनपद न्यायालय हाथरस	43.50	21.75	21.75
2	जनपद न्यायालय अमरोहा	45.68	43.50	2.18
3	जनपद न्यायालय बलिया	43.50	21.75	21.75
4	जनपद न्यायालय संतकबीरनगर	47.66	43.50	4.16
5	जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर	43.50	21.75	21.75
6	जनपद न्यायालय बागपत	45.98	43.50	2.48
7	जनपद न्यायालय कुशीनगर	43.50	21.75	21.75
8	उप कारागार देवबन्द	28.11	25.84	2.27
	योग-	**341.43**	**243.34**	**98.09**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) आवंटित धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय उसी मद में किया जायेगा।

(4) लेबरसेस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.12.2016 तक कर लिया जाय।

(6) कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के संपरीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायं।

3- प्रश्नगत योजना की मूल स्वीकृति विषयक शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-16- प्रदेश की कारागारों एवं जनपद न्यायालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग प्रणाली की स्थापना-24-वृहत निर्माण कार्य" मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यवस्थित धनराशि वहन किया जायेगा तथा उक्त लेखाशीर्षक/मद के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22 मार्च, 2016 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

संख्या-137/2016/1190(1)/22-4-16-तद्दिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।

(4) जिलाधिकारी, हाथरस, अमरोहा, बलिया, संतकबीरनगर, अम्बेडकरनगर, बागपत, कुशीनगर एवं सहारनपुर।

(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2

(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in